

कार्यालय,आयुक्त,उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश शासन,
सतपुडा भवन भोपाल

क्रमांक / 229 / आउशि / कैश लेखा - / 08

भोपाल,दिनांक 6/7/09

प्राति,

1.समस्त अतिरिक्त संचालक,
भोपाल,इंदौर-उज्जैन,ग्वालियर,जबलपुर,रीवा,


2.समस्त प्राचार्य,
शासकीय महाविद्यालय म.प्र।

विषय:-आयकर नियम 1962 का संशोधन करने बाबत।

संदर्भ:- विभाग का पत्र का.1298/2102/2009/2/38,भोपाल,दिनांक,1.7.09

वित्त विभाग से प्राप्त पत्र क्र 612/आर-406//चार/ब-1/09/दिनांक,17.6.09 जिसमें राजस्व विभाग के केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड नई दिल्ली का अद्विशासकीय पत्र क्र. 142/22/08-टीपीएल 25 मई,2009 की छायाप्रति संलग्न कर अनुरोध है कि समयसीमा में पत्र में अंकित निदेशों का कडाई से पालन सुनिश्चित करने की कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार


उपसंचालक


कार्या.आयुक्त,उच्च शिक्षा म0प्र0 भोपाल

पृ.क्रमांक / 230 / आउशि / कैश लेखा - / 08

भोपाल,दिनांक 6/7/09

प्रतिलिपि:-

- 1 उच्च शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन मंत्रालय, भोपाल।
- 2 कम्प्यूटर शाखा प्रभारी, की ओर प्रेषित कर निर्देशानुसार उक्त पत्र एवं सहपत्रों को बेवसाइड पर प्रकाशित करे ताकि समस्त अतिरिक्त संचालकों एवं प्राचार्यों को सूचना हो सके। उक्त सहपत्रों की छाया प्रति संलग्न है।


उपसंचालक

कार्या.आयुक्त,उच्च शिक्षा म0प्र0 भोपाल